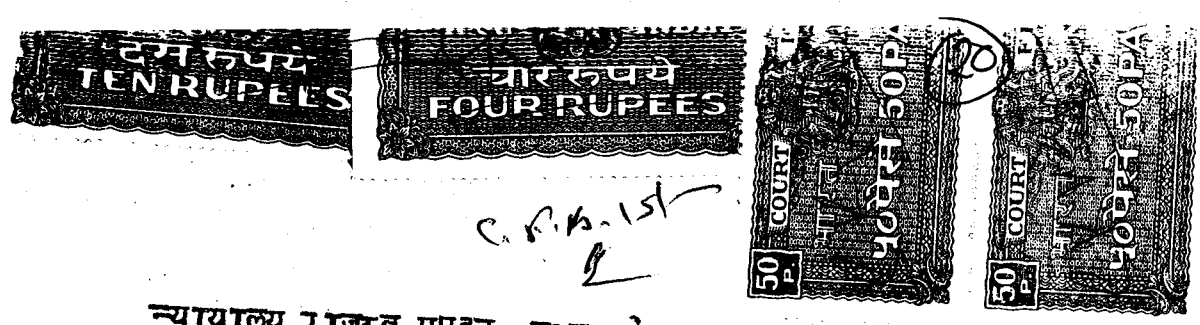

दस रुपये TEN RUPEES | चार रुपये FOUR RUPEES | COURT 50 P. | COURT 50 P.

C.R.P.-151

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र0क्र0 197 पुनरीक्षण निग0 220-IV/97

जिला- अशोकनगर

लल्लीराम पुत्र लक्ष्मणसिंह
निवासी ग्राम पचकाना तहसील ईसागढ
जिला गुना जिला अशोकनगर आवेदक

विरुद्ध

सुल्तानसिंह पुत्र जुगराजसिंह
निवासी ग्राम पचकाना तहसील ईसागढ
जिला गुना जिला अशोकनगर अनावेदक

क्रमांक 44-IV
श्री ... 09.9.97
अभिभाषक द्वारा आज दिनांक
को प्रस्तुत 09.9.97
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग व्दारा प्रकरण क्रमांक 100/87-88 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 26-3-97 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

(1) यह कि अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालयों के विवादित आदेश अवैध एवं मनमाने होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

(2) यह कि ग्राम पटेल के पद पर नियुक्ति हेतु नियमानुसार उद्घोषणा प्रसारित की गयी थी यह तथ्य निर्विवाद है तथा यह भी निर्विवाद है कि अनावेदक व्दारा नियत समयावधि में नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया ।

(3) यह कि तहसील न्यायालय ने अपने विवेक एवं विधि का अनुसरण करते हुये अनावेदक के आवेदन को अग्राह्य किया था । अपर आयुक्त महोदय का यह मत कि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकतम समयावधि नियत न होने से कभी भी आवेदन दिया जा सकता है, मान्य किये जाने योग्य नहीं है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 220–IV/1997 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–03–2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 222 के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही में आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे तहसीलदार ने अवधि बाह्य मानकर निरस्त किया है। कलेक्टर गुना ने तहसीलदार के उक्त आदेश को निरस्त किया तथा अपर आयुक्त द्वारा भी अपने आदेश में कलेक्टर गुना के आदेश को उचित माना है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तहसीलदार के समक्ष नियत दिनांक 16–1–87 के पूर्व अनावेदक द्वारा आवेदन पेश किया था और प्रकरण में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई इसी कारण अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदक को कलेक्टर ने समय–सीमा में मान्य किया है। अपर आयुक्त द्वारा भी कलेक्टर के आदेश से सहमत होते हुये निगरानी अस्वीकार की है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	